GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

Published by Authority

No. 147] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 23, 2025 (KARTIKA 01, 1947 SAKA)

चंडीगढ़ प्रशासन
कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 06 अगस्त, 2025

संख्या 28/67/1-आईएच(9)-2025/10707-पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (पंजाब अधिनियम संख्या 24, 2011) की धारा 21 और पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 (पंजाब अधिनियम संख्या 10, 2014) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1015(ई) दिनांक 14 अगस्त, 2017 के तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है और उनकी ओर से उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक यूटी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ सेवा का अधिकार नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को 'चंडीगढ़ सेवा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2025' कहा जा सकता है।

(2) ये उस तिथि से लागू होंगे जिसे चंडीगढ़ प्रशासन अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. 'चंडीगढ़ सेवा का अधिकार नियम, 2019' (जिसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

5. आवेदन की प्राप्ति एवं पावती:-

(1) कोई भी पात्र व्यक्ति सेवा प्रदान करने के लिए नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से या ई-संपर्क/हेल्प-डेस्क के माध्यम से या चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से उपरोक्त नामित अधिकारी को संबोधित आवेदन करेगा।

(2) यदि ऐसा आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो नामित अधिकारी प्रत्येक सेवा के लिए संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्रों/ऑनलाइन माध्यम से इसकी प्राप्ति की पावती देगा:

बशर्ते कि यदि आवेदक द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है, तो नामित अधिकारी द्वारा पावती पर्ची में उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ताकि आवेदक अपना आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण कर सके :

इसके अतिरिक्त, नामित अधिकारी ऐसे आवेदन पर टुकड़ों में आपत्ति नहीं उठाएगा:

Signature Not Verified
Digitally signed by SURESH BALA
Date: 2025.10.23 15:12:32 IST
Reason: Published
Location:

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

बशर्ते कि ऐसे मामलों में सेवा प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा उस तिथि से शुरू होगी जब आवेदक पावती में उल्लिखित सभी अपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि सेवा प्रदान करने की वैधानिक सीमा का उल्लंघन होने की स्थिति में, प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी या आयोग, जैसा भी मामला हो, को स्वतः अपील/संशोधन के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विकसित पोर्टल(ओं) पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करते समय आवेदक की सहमति मान ली जाएगी। अतः, अपील/संशोधन स्वतः दायर माना जाएगा। आवेदक की ओर से पोर्टल(ओं) पर स्वचालित अपील/संशोधन के संबंध में सॉफ्टवेयर में एक उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करते समय आवेदक के लिए अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।

-ह.स. -

चंडीगढ़,
दिनांक 04 अगस्त, 2025

सचिव कार्मिक
चंडीगढ़ प्रशासन

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/public notices in this part of the Chandigarh Administration Gazette. Persons notifying the advertisements/ public notices will remain solely, responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc. "

147—Ptg. & Sty. Deptt., U.T., Chd.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in